vinetur

केन्या में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 वर्ष करने का प्रस्ताव

विधेयक में 21 वर्ष से कम उम्र वालों के शराब से जुड़े रोजगार पर रोक, ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध और प्रति लीटर Ksh2 का उपकर प्रस्तावित है

रविवार, 8 नवंबर 2026



केन्या अपने शराब संबंधी कानूनों में व्यापक बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के तहत शराब पीने की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष की जाएगी और आतिथ्य तथा शराब कारोबार के कुछ क्षेत्रों में भी यही उम्र-सीमा लागू होगी। इससे बार और रेस्तरां तक युवा वयस्कों की पहुंच, इस क्षेत्र में रोजगार, ऑनलाइन बिक्री और पेय कारोबार की परिचालन लागत प्रभावित हो सकती है।

प्रस्तावित Alcoholic Drinks and Drugs Control Laws (Amendment) Bill, 2026 गुरुवार, 5 नवंबर को नेशनल असेंबली में पेश किया गया। विधेयक पारित होने पर शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। साथ ही, मादक पेय से जुड़े कारोबारों में काम करने वालों पर नियम सख्त होंगे।

मसौदे के मुताबिक, शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस केवल 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को दिए जा सकेंगे। मादक पेय के उत्पादन, बिक्री और वितरण से जुड़ी गतिविधियों में रोजगार भी इसी आयु-वर्ग के लोगों तक सीमित होगा। इसका मतलब है कि 18 से 20 वर्ष की उम्र के केन्याई नागरिकों पर न केवल शराब खरीदने, बल्कि बार, रेस्तरां, शराब की दुकानों और मादक पेय बेचने या संभालने वाले अन्य कारोबारों में काम करने पर भी पाबंदियां लग सकती हैं।

लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश भी प्रतिबंधित होगा, भले ही उसके साथ कोई वयस्क हो। यह पाबंदी शराब पीने पर पारंपरिक रोक से आगे जाएगी और शराब परोसने वाले कुछ मनोरंजन स्थलों तक पहुंच को भी प्रभावित कर सकती है।

संसद में चर्चा के दौरान नेशनल असेंबली के बहुमत नेता Kimani Ichung'wah ने उम्र की सीमा बढ़ाने का बचाव करते हुए कहा कि कई 18 वर्षीय लोग अब भी शराब को लेकर सही फैसले लेने के लिए बहुत कम उम्र के हैं। उन्होंने गुरुवार, 5 नवंबर को सांसदों से कहा, "हमारे 18 साल के बहुत से बच्चे अब भी बहुत छोटे हैं और यह सोच-समझकर फैसला करने में सक्षम नहीं हैं कि उनके जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा।"

विधेयक में उम्र संबंधी पाबंदियों से आगे के प्रावधान भी हैं। इसमें ऑनलाइन मंचों, कूरियर सेवाओं, घर तक डिलीवरी, फेरी लगाकर बिक्री और वेंडिंग मशीनों के जरिए शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। शराब के आउटलेट को शिक्षण संस्थानों से 300 मीटर के दायरे में संचालित करने पर भी रोक होगी।

इन प्रावधानों का पेय कारोबार पर व्यापक असर पड़ सकता है। ऑनलाइन बिक्री और घर तक डिलीवरी पर रोक से उन डिजिटल खुदरा माध्यमों को नुकसान होगा जो कई शहरों में बाजार का हिस्सा बन चुके हैं। 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के रोजगार पर पाबंदियों से बार, रेस्तरां और खुदरा विक्रेताओं के लिए उपलब्ध श्रमिकों की संख्या घट सकती है। विधेयक कानून बना तो उत्पादकों, आयातकों और वितरकों की अनुपालन तथा स्टाफ संबंधी लागत भी बढ़ सकती है।

एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव के तहत केन्या में निर्मित या आयात किए गए मादक पेय पर प्रति लीटर Ksh2 का उपकर लगाया जाएगा। विधेयक के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल शराब नियमन और नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत, हर साल जुटाए गए राजस्व का कम से कम 50% National Alcoholic Drinks Control Committee को दिया जाएगा। कम से कम 15% रोकथाम और पुनर्वास कार्यक्रम चलाने वाले नागरिक समाज संगठनों को मिलेगा।

उद्योग ने पहले ही इसका विरोध किया है। शुक्रवार, 6 नवंबर को Alcoholic Beverages Association of Kenya ने विधेयक वापस लेने की मांग की और कहा कि इन उपायों से वैध कारोबार बाधित हो सकते हैं तथा पूरे क्षेत्र में कारोबार की लागत बढ़ सकती है।

एसोसिएशन ने कहा कि उसके शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, विधेयक लागू होने पर करीब 8,960 नौकरियां और 1,792 लाइसेंस प्राप्त आउटलेट जोखिम में पड़ सकते हैं। उसने यह भी कहा कि प्रस्तावित उपकर से उद्योग की सालाना लागत Ksh1.3 billion बढ़ सकती है। ये आंकड़े एसोसिएशन के अनुमान हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

प्रस्तावित नियमों में Alcoholic Drinks Control Act के उल्लंघन पर दंड भी काफी बढ़ाने की बात है। उल्लंघन करने वालों पर Ksh10 million तक का जुर्माना, पांच साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कारोबारों के लिए इससे नियमों का पालन न करने का वित्तीय जोखिम बढ़ जाएगा।

संसद में चर्चा के दौरान कानून के दायरे को लेकर भी सवाल उठे। Dadaab के सांसद Farah Maalim ने पूछा कि विधेयक में शराब के साथ मीरा और मुगुका को क्यों शामिल नहीं किया गया। उनका तर्क था कि इन पदार्थों को भी नीतिगत चर्चा

का हिस्सा होना चाहिए।

विधेयक को अभी मंजूरी नहीं मिली है। लागू होने से पहले इसे जनभागीदारी, समिति की समीक्षा और मतदान समेत संसद की पूरी विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तब तक केन्या में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 वर्ष ही रहेगी।